रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2008/वैशाख 17, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 38
No. 75] DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2008/VAISAKHA 17, 1930 [N.C.T.D. No. 38

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 7 मई, 2008

सं. फा. 19(69)/परि./सचि./08/427.—इस सरकार की दिनांक 5 मई, 2008 की अधिसूचना सं. फा. 19(70)/परि./सचि/08/418 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (41) तथा धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, आयुक्त परिवहन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस बात से संतुष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर नगर से मूल चन्द अस्पताल तक डॉ. अम्बेडकर रोड, लाल बहादुर शास्त्री रोड तथा जे.बी. टीटो रोड पर बस रैपिड ट्रांजिट कोरिडोर पर हल्के माल वाहनों को चलाने का निषेध, यातायात संचालन को विनियमित करना जन सुरक्षा के हित में तथा आम जनता की सुविधा के लिये आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. वर्मा, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 7th May, 2008

No. F. 19(69)/Tpt./Sectt./08/427.—In exercise of the powers conferred by Section 115 and clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with this Government's Notification No. F. 19(70)/Tpt./Sectt./08/418, dated the 5th May, 2008, the Commissioner Transport, Government of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety and convenience of the general public to regulate movement of traffic, prohibits the driving of light goods vehicles on the Bus Rapid Transit Corridor on Dr. Ambedkar Road, Lal Bahadur Shastri Road and J. B. Tito Road, from Dr. Ambedkar Nagar to Moolchand Hospital.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner

(गृह-III विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 7 मई, 2008

सं. फा. 31/65/2007/गृह-III विभाग/215 से 225.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/गुणवत्ता नियंत्रण)" के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ :**–(1) इन नियमों को वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/गुणवत्ता नियंत्रण), न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2007 कहा जाए ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :**–उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि :**–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **अयोग्यता :**–ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है ।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**–जहां सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे ।

6. **बचाव :**–इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/गुणवत्ता नियंत्रण)" के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राहय है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/ गुणवत्ता) नियंत्रण	01* (एक) (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय	रु. 4500-125-7000 रुपये	गैर चयन	नहीं	27 वर्ष (समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)

	(7)
	टीप : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख़ वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी स्तर पर वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान एक विषय सहित रसायन या भौतिकी या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन या नृविज्ञान या आणविक जीव विज्ञान या अनु-वांषिकी विज्ञान या मनोविज्ञान या विष विज्ञान या न्यायिक विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष। **वांछनीय :** मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक संस्थान के विज्ञान प्रयोग-शाला में कार्य अनुभव	आयु : नहीं अनिवार्य योग्यताएं : नहीं, तथापि कॉलम संख्या 8 में उल्लिखित विषय सहित बी.एस.सी.	2 (दो) वर्ष

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(11)	(12)
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) : केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यता प्राप्त/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्ध शासकीय/स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत अधिकारी; (क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले अधिकारी; अथवा

(12)
(ii) 4000-6000 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दिये गये ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष तथा कॉलम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले । 2. 4000-6000 रुपये के वेतनमान में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित विभागीय प्रयोगशाला सहायक (एचआरडी/गुणवत्ता नियंत्रण) भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारणीय होंगे तथा यदि वह उस पद पर नियुक्ति हेतु चुना जाता है तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा समझा जायेगा। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे ।) (प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी ।)

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो, इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
(13)	(14)
'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

(HOME-III DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th May, 2008

No. F. 31/65/2007/Home-III Deptt. /215 to 225.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59-Him (i) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant (HRD /Quality Control), Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(a) These rules may be called the Scientific Assistant (HRD / Quality Control), Forensic Science Laboratory, Reoruitment Rules, 2007.

(b) They shall oome into foroe on the date of their pubqlication in Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of the said post, its classificatiqn and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, classification etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in oolumns (5) to (14) of the said schedule.

4. Disqualification .—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to suoh person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be reoorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Scientific Assistant (HRD / Quality Control) in the Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Scientific Assistant (HRD/ Quality Control	1* (one) 2007 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non-selection	No	27 years. (Relaxable for Govt. servants in accordance with the instructions/orders issued by the Central Govt. from time to time. **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island or Lakshadweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential: Master's degree in Chemistry or Physics or Botany or Zoology or Biotechnology or Biochemistry Anthropology or Molecular Biology or Genetics or Psychology or Toxicology or Forensic Science with Botany or	Age : No Educational Qualification : No, however B.Sc. with the subject mentioned in Col. No. 8.	2 (Two) years.

1679 DG/08-2

(8)

Zoology at B.Sc. level from a recognized University or equivalent.

Desirable :

Work experience in a Scientific Laboratory from a recognized Scientific Institution.

Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/Deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(11)	(12)
Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Government/Union Territories/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous organizations; (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department. OR (ii) With 5 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4000—6000 or equivalent in the parent cadre/department and possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column No. 8. 2. The Departmental Laboratory Assistant (HRD/Quality Control) with 5 years regular service in the pay scale of Rs. 4000—6000 shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall deemed to have been filled by promotion. (The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.) (The period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation including short-term contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' DPC	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. N. SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.